



भारतीय भेषजी परिषद्
(भेषजी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत स्थापित)
PHARMACY COUNCIL OF INDIA

(CONSTITUTED UNDER THE PHARMACY ACT, 1948)

द्वार Telegram : 'फार्मकाउंसिल' 'FARM COUNCIL'
दूरभाष Telephone : 23239184, 23231348
फैक्स Fax : 011-23239184
ई-मेल E-Mail : pci@ndb.vsnl.net.in
वेबसाइट Website : www.pci.nic.in

संयुक्त परिषद् भवन Combined Councils' Building
कोटला रोड Kotla Road
ऐयान-ए-गालिब मार्ग Aiwan-E-Ghalib Marg
पोस्ट बॉक्स नं. 7020 Post Box No. 7020
नई दिल्ली - 110002 New Delhi - 110002

Ref.No.14-1/2014-PCI Pt-1 | 20617-22356

All institutions approved by PCI

- u/s 12 of the Pharmacy Act, 1948
- Conduct of Course.

11 JUL 2014

Sub.: Online undertaking and NAAC accreditation of the institutions – regarding.

Ref.: Our Circular Nos.-

- 14-1/2006-PCI-96-919 dt.6.4.2007
- 14-1/2006-PCI-11180-958 dt.20.11.2007
- 14-1/2006-PCI-15725-16503 dt.4.2.2008
- 14-1/2006-PCI Pt.1-1080-2087 dt.23.4.2009
- 14-1/2006-PCI Pt.1-8031-9169 dt.3.7.2009
- 14-1/2006-PCI/Pt.1/9205-10349 dt.6.7.2009
- 14-1/2006-PCI/Pt.1/14673-15818 dtd.13.8.2009
- 14-1/2009-PCI Pt 1/15530-17382 dt.7.3.2011
- 14-1/2011-PCI/Pt.1/24372-26224 dt. 22.9.2011
- 14-1/2011-PCI/Pt.1/43873-45701 dt.23.5.2012.
- 14-1/2011-PCI/Pt.1/63440-65566 dt.23.10.2012.
- 14-1/2013-PCI/29029-309358 dt. 23.09.2013
- 14-1/2013-PCI-Pt-1/44689-46598 dt. 28.01.2014
- 14-1/2013-PCI-Pt-1/ 9390- 9328 dt. 2.6.2014
- 14-1/2013-PCI-Pt-1/ 15017- 16956 dt. 26.6.2014

Sir/Madam

With reference to the subject cited above, please find enclosed herewith a copy of letter No. F.1-5/2014(ARC) dt 11.6.2014 received from University Grants Commission, New Delhi regarding online undertaking and NAAC accreditation of the institutions, which is self explanatory.

This is for strict compliance.

Yours faithfully


(ARCHNA MUDGAL)
Registrar-cum-Secretary

..2..

Cc to –
Dr. Archana Thakur
Dy. Secretary
University Grant Commission
35, Ferozshah Road Marg
New Delhi – 110 001

(ARCHNA MUDGAL)
Registrar-cum-Secretary

UGC Website: www.ugc.ac.in



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110002
University Grants Commission
Bahadurshah Zafar Marg
New Delhi-110002

No. F.1-15/2014(ARC)

June, 2014

11 JUN 2014

To,

Ms. Archana Mudgal
Registrar-cum-Secretary,
Pharmacy Council of India
Combined Council's Building,
Kotla Road, Aiwan-e-GhalibMarg,
New Delhi-110 002

Sub: ONLINE undertaking and NAAC accreditation of the Institutions- regarding

Dear Sir/ Madam,

With reference to Inter Council & Coordination Committee meeting held on 21.03.2014 in UGC office, you are requested to inform your respective Colleges/ Institutions/ Universities to make use of the ONLINE undertaking and also get your Institutions NAAC accredited. 2nd amendment has been published in the gazette on 29.03.2014 regarding ONLINE undertaking (copy enclosed).

Soliciting your kind cooperation in this regard.

Yours faithfully,

(Dr.) (Mrs.) Archana Thakur
Deputy Secretary




भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 29, 2014/ चैत्र 8, 1936

No. 101]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 29, 2014/CHAITRA 8, 1936

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 दिसम्बर, 2013

वि.सं. 15-3/2013 (ए.आर.सी.) पार्ट-III.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, (1956) (3-1956) की धारा (ग) के उप-अनुच्छेद (I) के अनुच्छेद 26 में प्रदत्त अधिकारों के क्रियान्वयन के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्वारा निम्न विनियम सृजन करता है. नामतः :-

- (1) यह विनियम "उच्चतर शैक्षिक संस्थानों" में शैगिंग के जोड़िम के निराकरण (द्वितीय संशोधन) विनियम 2013 कहलायेंगे।
- (2) इन विनियमों के अनुलग्नकों-I एवं II के अंतर्गत शैगिंग के जोड़िम पर नियंत्रण के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009 (जो आगे से प्रमुख विनियम के रूप में जाने जाएँगे) इनमें सम्मिलित निम्न वाक्यों का विलोपन किया जाएगा—
"सत्यनिष्ठापूर्वक पुष्टि की गई एवं इस पत्र की विषयवस्तु को पढ़कर इस (दिन) (माह)..... (वर्ष) को मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया।

शपथ आयुक्त

उपमन्त्रु बसु, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./113/13]

घाट टिप्पणी:- प्रमुख विनियमों को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 27 दिनांक 07.07.2009 में प्रकाशित किया गया था।

माता-पिता/अभिभावक द्वारा नी गई प्रतिबद्धता

1. श्री/श्रीमती/सुश्री _____ (माता-पिता/अभिभावक का पूरा नाम छात्र का पूरा नाम, उसके प्रदेश/पंजीकरण/नामांकन संख्या सहित) के पिता-माता/अभिभावक, जिसके छात्र को _____ (संस्थान का नाम) में प्रवेश दिया गया है, इसने उच्च शैक्षिक संस्थानों, 2009, में रैगिंग के जोखिम पर नियन्त्रण लगाने से संबंधित यूजीसी विनियमों (जो आगे से विनियम के नाम से कहलावेंगे) को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को पूरी तरह समझ लिया है।
2. मैंने, विशिष्ट रूप से इन विनियमों का अवलोकन किया है तथा मुझे इस ज्ञात की जानकारी है कि रैगिंग में क्या बात शामिल है।
3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 का भी विशेष रूप से अध्ययन किया है तथा मैं पूरी तरह से जागरूक हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की अथवा रैगिंग में सहायक होने की सक्रिय अथवा छिपे तौर से दोषी पाया/पाई जाती है अथवा रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयन्त्र का एक हिस्सा होता/होती है तो उस स्थिति में उसके विरुद्ध जिस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई का वह भागीदार होगा/होगी, वह मेरे संज्ञान में है।
4. मैं एतद्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ, एवं आश्वासन देता/देती हूँ, कि:
 - (क) मेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होगी जिसे विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग माना गया है।
 - (ख) मेरी संतान जान बूझकर अथवा भूलभूक से ऐसे किसी कृत्य में न तो संलिप्त होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगी ना ही उसे प्रोत्साहित करेगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।
5. एतद्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की दोषी पाई जाती/पाया जाता है तो वह इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार दण्ड की भागीदार होगा/होगी जो कि किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के बिना होगा-तथा जो दण्ड मेरी संतान के विरुद्ध किसी भी दण्ड संबंधी कानून के अथवा वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अनुसार होगा।
6. एतद्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान इस देश में विद्यमान किसी भी संस्थान द्वारा रैगिंग की दोषी अथवा उसमें सहायक होने कि अथवा षडयन्त्र का एक हिस्से के रूप से दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष के कारण निष्कासित नहीं हुई है/हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

घोषित किया गया _____ दिन _____ माह _____ वर्ष _____

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

पता:

दूरभाष सं./मो. नं.:

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह बचनबद्धता मेरे संज्ञान में सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई है और ना ही अर्थार्थ कही गई है।

सत्यापित (स्थान) _____ दिन _____ माह _____ वर्ष _____

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

छात्र का आरवासन

1. मैं _____ (प्रवेश/पंजकरण/नामांकन संख्या के साथ ही छात्र का पूरा नाम) सुपुत्र/सुपुत्री/_____
श्री/श्रीमती/सुश्री _____ जितने _____ में (संस्थान का नाम) प्रवेश दिया गया है, उसने उच्च शैक्षिक
संस्थानों में 2009 के जोखिम पर नियंत्रण संबंधी यूजीसी विनियमों की प्रति प्राप्त की है (जो इसके आगे से विनियम
कहलायेंगे) तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर पूरी तरह से समझ लिया है।
2. मैंने विशेष रूप से इन विनियमों की धारा 3 को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथा मुझे इस बात का संज्ञान है कि रैगिंग में कौन सी बातें
सम्मिलित हैं।
3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 को भी विशेष रूप से पढ़ा है तथा मैं उस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई के विषय में पूरी
तरह से सचेत हूँ जो मेरे विरुद्ध लागू की जा सकती है यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देने के लिए दोषी पाया जाता हूँ अथवा रैगिंग
को सक्रिय अथवा छिपे तौर से प्रोत्साहित करने अथवा इस विषय में पदच्युत करने का दोषी पाया जाता हूँ।
4. मैं एतद्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आरवासन देता/देती हूँ कि _____
(क) मैं ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में सलियत नहीं होऊँगा/होऊँगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के
रूप में माना जा सकता है।
(ख) मैं ऐसे किसी आचरण अथवा अनाचरण के काम में न तो भाग लूँगा/लूँगी न ही उसके पदच्युत में अथवा उसके प्रोत्साहन
में शामिल होऊँगा जिस कृत्य को इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।
5. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि मैं दोषी पाया जाता हूँ तो इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार इनसे बिना
पूर्वाग्रह के मैं दण्ड के लिए तथा ऐसी दण्डात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ जो कि अन्य किसी आपराधिक मामले के प्रति
किसी धातू दण्डात्मक अथवा अन्य किसी कानून के अनुसार मेरे विरुद्ध की जा सकती है।
6. मैं घोषित करता/करती हूँ कि इस देश के किसी भी संस्थान में मुझे रैगिंग को पदच्युत में अथवा इसे प्रोत्साहित करने, इसको
पढ़काने में अथवा इसमें भाग लेने के मामले में दोषी घाने के लिए ना तो निष्कासित किया है ना ही प्रदेश से बाधित किया
है-और मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि की गई यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे पूरी जानकारी है कि
मेरा प्रवेश निरस्त करने का उत्तरदायित्व मुझ पर होगा।

घोषित किया गया _____ दिन _____ माह _____ वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
नाम

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह उचनबद्धता मेरे संज्ञान सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा
इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई और ना ही अयर्थाथ कही गई है।

सत्यापित (स्थान) _____ दिन _____ माह _____ वर्ष _____

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
नाम

**UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th December, 2013

No. F. 15-3/2013 (ARC) Pt. III.—In exercise of powers conferred under clause (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely:-

- (1) These regulations may be called the "curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions (second Amendment) Regulations, 2013".
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter referred to as the Principal regulations), in the Annexure-I and II of the regulations, the sentences containing the following shall be deleted:

"Solemnly affirmed and signed in my presence on this (day) of (month), (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER"

UPAMANYU BASU, Secy.
[ADVT. III/4/Exty./113/13]

Foot Note: The principal Regulations were published in the Gazette of India, vide notification number 27 dated 04.07.2009.

ANNEXURE-I

UNDERTAKING BY THE STUDENT

I, (full name of student with admission/registration/enrolment number) s/o d/o Mr./Mrs./Ms. having been admitted to (name of the institution) have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

- (2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- (3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
- (4) I hereby solemnly aver and undertake that
 - (a) I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
 - (b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

- (5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.
- (6) I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this _____ day of _____ month of _____ year.

Signature of deponent
Name:

VERIFICATION

Verified that the contents of this undertaking are true to the best of my knowledge and no part of the undertaking is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at _____ (place) on this the _____ (day) of _____ (month), _____ (year).

Signature of deponent
Name:

ANNEXURE-II

UNDERTAKING BY PARENT/GUARDIAN

I, Mr./Mrs./Ms. _____ (full name of parent/guardian) father/mother/guardian of, (full name of student with admission / registration/enrolment number) _____, having been admitted to _____ (name of the Institution) _____, have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations"), carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations."

- (2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- (3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
- (4) I hereby solemnly aver and undertake that
- (a) My ward will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- (b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- (5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force.

1431 G/14-2

- (6) I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, the admission of my ward is liable to be cancelled.

Declared this _____ day of _____ month of _____ year.

Signature of deponent
Name:
Address:
Telephone/Mobile No.:

VERIFICATION

Verified that the contents of this undertaking are true to the best of my knowledge and no part of the undertaking is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at (Place) on this the (day) of (month) (year) .

Signature of deponent
Name: